

लूट के प्रयास के दौरान एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने वाले 25 हजार के ईनामी बदमाश को उसके साथी सहित पुलिस मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल, 02 अवैध तंमचा 315 बोर मय 03 जिन्दा व

02खोखा कारतूस 315 बोर बरामद- थाना विजय नगर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 27.08.2019 को समय करीब 23:00 बजे डीपीएस फ्लाई ओवर के नीचे से पुलिस मुठभेड़/चेकिंग के दौरान पीछा कर 02 बदमाशो 1.गौरव पुत्र नरेश उर्फ सुनील नि0 शाहपुर बम्हैटा थाना कविनगर गाजियबाद 2. कुलदीप पुत्र धर्मवीर निवासी ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना कविनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर साईकिल तथा 02 अदद तंमचा 315 बोर मय 03 जिन्दा व 02 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद हुये है।

गिरफ्तार अभियुक्त गौरव व कुलदीप द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर दिनांक 07.08.2019 को गौरी ज्वैलर्स के साथ लूटपाट करने की कोशिश की थी तथा अपने आपको पब्लिक से घिरा पाकर गौरी ज्वैलर्स के यहाँ काम करने वाले कर्मचारी को गोली मारकर घायल कर भाग गये थे।

अभियुक्त गौरव की गिरफ्तारी पर पूर्व से ही रु0 25000/- का ईनाम घोषित था।

अभियुक्तगण का नाम व पता-

1. गौरव पुत्र नरेश उर्फ सुनील नि0 शाहपुर बम्हैटा थाना कविनगर गाजियाबाद
2. कुलदीप पुत्र धर्मवीर नि0 ग्राम शाहपुर बम्हैटा थाना कविनगर गाजियाबाद

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त गौरव

1. मु0अ0स0 244/17 धारा 392,411 भादवि थाना कविनगर, गाजियाबाद
2. मु0अ0सं0 245/17 धारा 392,411भादवि थाना कविनगर, गाजियाबाद
3. मु0अ0सं0 247/17 धारा 392,411 भादवि थाना कविनगर, गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 252/17 धारा 411,415 भादवि थाना कविनगर, गाजियाबाद
5. मु0अ0सं0 1858/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कविनगर गाजियाबाद
6. मु0आ0सं0 813/19 धारा 307,393,352 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद
7. मु0अ0सं0 888/19 धारा 307,414 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद
8. मु0अ0सं0 889/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद

अभियुक्त कुलदीप

1. मु0अ0सं0 252/17 धारा 411,415 भादवि थाना कविनगर, गाजियाबाद
2. मु0आ0सं0 813/19 धारा 307,393,352 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद

3. मु0अ0सं0 888/19 धारा 307,414 भादवि थाना विजयनगर गाजियाबाद
4. मु0अ0सं0 890/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना विजयनगर गाजियाबाद

बरामदगी-

1. 01 अदद मोटर साइकिल स्पलैन्डर
2. 02 अदद तंमचा 315 बोर
3. 03 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर
4. 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

03 शातिर लूटेरे गिरफ्तार, कब्जे से लूट/चोरी के 05 मोबाइल फोन, 01 चैन पीली धातू, 3 हजार रुपये नगद,

01 अवैध तमन्चा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस, 01 बाईक, व 02 चाकू बरामद:- थाना कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 27.08.2019 को समय करीब 23.10 बजे 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से चोरी/लूट के 05 अदद मोबाइल फोन विभिन्न मार्का व एक चैन पीली धातू चोरी की, एक तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर, दो चाकू नाजायज व घटना में प्रयुक्त एक मोटर साइकिल अपाचे लाल रंग यूपी 14 डीबी 2380 व नगद 3000 रु0 बरामद किये गये हैं।

घटना का विवरण:- दिनांक 27.08.19 को थाना कोतवाली पुलिस संदिग्ध वाहन /व्यक्ति की दिल्ली जूस कार्नर पर चैकिंग कर रही थी दौराने चैकिंग एक लाल रंग की अपाचे मोटर साइकिल पर सावार तीन व्यक्ति आते दिखायी दिये शक होने पर रोकने का इशारा किया गया तो वह मो0सा0 मोड कर भागने का प्रयास करने लगे शक बदमाश का होने पर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी की तीनों व्यक्ति लडखडाकर मय मोटर साइकिल के सडक पर गिर पड़े पुलिस टीम द्वारा तीनों को घेरघोट कर पकड लिया

तथा भागने का कारण पूछा तो बताया कि हम मोटर साइकिल बदल-बदल कर मोबाइल व चैन भीड-भाड वाले इलाको से लूटते हैं। तथा हमारे पास इस समय चोरी व छीने गये मोबाइल व चैन है। इस पर पकड़े गये तीनों व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए जामा तालाशी ली गयी तो कब्जे से पांच अदद मोबाइल फोन विभिन्न मार्का चोरी के तथा एक चैन पीली धातू, एक तमन्चा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर दो अदद चाकू नाजायज व घटना प्रयुक्त मो0सा0 अपाचे नं0 यूपी 14 डीबी 2380 व नगद 3000रु0 बरामद हुये हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0 631/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 632/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 633/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

अपराध करने का तरीका:- अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह थाना कोतवाली, सिहानीगेट, विजयनगर, साहिबाबाद, कविनगर आदि क्षेत्रों में अपने साथियों के साथ मोटर साइकिल बदल-बदल कर चोरी व लूट करते हैं तथा मौका लगते ही मोबाइल फोन व चैन लूट कर भाग जाते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पते:-

- 1- शाहवाज पुत्र यामीन नि0 म0नं0 854 हिण्डन बिहार सुलतान चौक थाना सिहानीगेट गा0बाद।
- 2- शाहरुख पुत्र बाबू खों नि0 मौ0 बंसीधर जामा मस्जिद जहागीराबाद, थाना जहांगीराबाद जिला बुलन्दशहर।
- 3- सन्तोष उर्फ सन्तू पुत्र बबलू नि0 45 फुटा रोड़ हिण्डन बिहार थाना सिहानीगेट

बरामदगी:-

- 1- मोबाइल फोन ओप्पो आईएमईआई नं0 863084038754354 सम्बन्धित मु0अ0सं0 517/19 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली गा0बाद।
- 2- मोबाइल फोन ओप्पो आईएमईआई नं0 869187038791716।
- 3- एक चैन पीली धातू सम्बन्धित मु0अ0सं0 605/19 धारा 356,379 भादवि थाना कोतवाली गा0बाद।
- 4- एक तमन्चा 315 बोर मय 1 एक जिन्दा कारतूस 315 बोर,
- 5- एक अदद मोबाइल फोन वीवो आईएमईआई 868493036129714 सम्बन्धित मु0अ0सं0 524/19 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली गा0बाद।
- 6- एक अदद मोबाइल फोन रेडमी एमआई।
- 7- एक अदद मोबाइल फोन सैमसंग आईएमईआई नं0 353509079730936।

8- 3000रु0 नगद सम्बन्धित मु0अ0सं0 1289/19 धारा 356 भादवि थाना सिहानीगेट गा0बाद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

अभियुक्त शाहवाज पुत्र यामीन का :-

- 1-मु0अ0सं0 517/19 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली गा0बाद।
- 2-मु0अ0सं0 605/19 धारा 356,379,411 भादवि थाना कोतवाली गा0बाद।
- 3-मु0अ0सं0 524/19 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली गा0बाद।
- 4- मु0अ0सं0 1289/19 धारा 356,411 भादवि थाना सिहानीगेट गा0बाद।
- 5- मु0अ0सं0 631/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
- 6- मु0अ0सं0 634/19 धारा 411 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
- 7- मु0अ0सं0 1785/16 धारा 379,411 भादवि थाना सिहानीगेट गा0बाद।
- 8- मु0अ0सं0 299/19 धारा 414 भादवि थाना कविनगर गा0बाद।
- 9- मु0अ0सं0 1831/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गा0बाद।
- 10-मु0अ0सं0 1836 धारा 411,414 भादवि थाना कविनगर गा0बाद।
- 11-मु0अ0सं0 295/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कविनगर गा0बाद।

अभियुक्त शाहरूख पुत्र बाबू का :-

- 1-मु0अ0सं0 517/19 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली गा0बाद।
- 2-मु0अ0सं0 605/19 धारा 356,379,411 भादवि थाना कोतवाली गा0बाद।
- 3-मु0अ0सं0 524/19 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली गा0बाद।
- 4- मु0अ0सं0 1289/19 धारा 356,411 भादवि थाना सिहानीगेट गा0बाद।
- 5- मु0अ0सं0 632/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
- 6- मु0अ0सं0 634/19 धारा 411 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

नोट:- शाहरूख पुत्र बाबू पूर्व में थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर से लूट में जेल जा चुका है।

अभियुक्त सन्तोष उर्फ सन्तू पुत्र बबलू का :-

- 1-मु0अ0सं0 517/19 धारा 379,411 भादवि थाना कोतवाली गा0बाद।
- 2-मु0अ0सं0 524/19 धारा 392,411 भादवि थाना कोतवाली गा0बाद।
- 3- मु0अ0सं0 633/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गा0बाद।
- 4- मु0अ0सं0 634/19 धारा 411 भादवि थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।
- 5- मु0अ0सं0 565/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिहानीगेट गा0बाद।

बच्चों का अपहरण करने वाली एक महिला गिरफ्तार, 02 वर्षीय अपहर्ता मात्र 05

दिन में सकुशल बरामद:- वर्तमान परिपेक्ष्य में नाबालिक बच्चों के अपहरण की घटनाओं की गम्भीरता तथा दिन दहाड़े हुए नाबालिक बच्चे के अपहरण से समाज में भय व मांता/पिता में व्याप्त रोष को दृष्टिगत रखते हुए चौकी क्षेत्र नीतिखंड से दिनांक 22.08.2019 को अपहर्ता उम्र-2 वर्ष को सकुशल बरामद करने हेतु एक पुलिस टीम का गठन किया गया।

थाना इन्द्रापुरम पुलिस (गठित टीम) द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए दिनांक 27.08.19 को मंगल चौक नीतिखंड से अपहर्ता 02 वर्षीय सहित अपहरणकर्ता महिला को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता:-

1:- दुखिया पत्नी श्री वंशीलाल निवासी ग्राम अछौली थाना बेरेला जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, हाल निवासी 254 पीर वाली गली फेस-1 पडपडगंज थाना पांडव नगर दिल्ली।

घटना का विवरण:-

अभियुक्ता उपरोक्त वादिया श्रीमति राखी की 02 वर्षीय पुत्री को बहला फुसलाकर बदले की भावना से छत्तीसगढ़ लेकर चली गयी थी। दिनांक 22.08.19 को थाना इंदिरापुरम पर वादिया श्रीमति राखी द्वारा अपनी पुत्री के अपहरण के सम्बंध में एक अज्ञात महिला के विरुद्ध अ0स0-1841/19 का अभियोग पंजीकृत

कराया था। मामले की गम्भीरता को देखते हुए गठित टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए अपहर्ता को सर्विलांस की मदद से मय अभियुक्ता के बरामद किया गया जिसके सम्बंध में पीडिता की माता व पिता द्वारा पुलिस पार्टी की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है।

अभियुक्ता का अपराधिक इतिहास:-

क0स0	अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	1841/19	363 भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद

बाथरूम में नहाते समय अपने बाथरूम से सेल्फी स्टिक से वीडियो बनाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन बरामद:- दिनांक 27.08.19 को 01 युवती द्वारा थाना इंदिरापुरम पर 01 अभियुक्त द्वारा अपने बाथरूम से पास वाले वादिया के फ्लैट के बाथरूम में एकजांस्ट वाली खिडकी से सेल्फी स्टिक में मोबाईल लगाकर वीडियो बनाने के सम्बंध में अ0स0-1882/19 धारा 354ग का अभियोग पंजीकृत कराया है जिसकी जांच उ0नि0 अंजनी कुमार द्वारा सम्पादित की जा रही है जिनके द्वारा अभियुक्त को उसके किराये के मकान से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1:- हीरेन जयसुखमीरानी निवासी वेस्ट मुम्बई
हाल निवासी थाना इंदिरापुरम जनपद गाजियाबाद।

घटना का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा दिनांक 27.08.19 समय 10.00 बजे करीब पीडिता की नहाते समय सेल्फी स्टिक में मोबाईल लगाकर वीडियो बनाने लगा जिसकी जानकारी पीडिता को हुई तो उसके द्वारा उक्त घटना की सूचना थाना इंदिरापुरम पर दी गयी। उक्त प्रकरण के सम्बंध में थाना इंदिरापुरम पर अ0स0-1882/19 धारा 354ग का अभियोग पंजीकृत है।

अभियुक्ता का अपराधिक इतिहास:-

क0स0	अ0स0	धारा	थाना	जनपद
1	1882/19	354ग भादवि	इंदिरापुरम	गा0बाद

एनसीआर क्षेत्र में इन्श्योरेंस पालिसी/लोन/शेयर मार्केट के नाम पर विभिन्न राज्यों की जनता से फर्जी खातों में पैसा जमा कराकर ठगी करने वाले गिरोह के 02 शातिर वांछित अभियुक्त, 16 कालिंग मोबाईल फोन, फर्जी दस्तावेज, व अन्य उपकरण सहित गिरफ्तार:- थाना इंदिरापुरम पुलिस ने आपरेशन वांछित में दिनांक 27.08.19 को समय 22.30 बजे पंचतत्व अपार्टमेंट थाना बिसरख ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर से 02 शातिर फर्जी काल सेन्टर चलाने वाले अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार अपराधियों के नाम व पते:-

- 1:- अभय प्रताप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम व पोस्ट हेरवा थाना कटरा जिला औरैया हाल निवासी फ्लैट न0-1002] 10वीं मंजिल पंचतत्व अपार्टमेंट थाना बिसरख जिला गौतमबुद्धनगर
- 2:- अजय कुमार वाजपेयी पुत्र श्री परशुराम वाजपेयी निवासी ग्राम व पोस्ट लच्छीपुर थाना लालगंज जिला रायबरेली हाल निवासी फ्लैट न0-007 एन श्री रायल नेस्ट नियर मिहिर भोज गुर्जर चौक थाना बिसरख जिला गौतमबुद्धनगर

अभियुक्तगणों का अपराध करने का तरीका:-

अभियुक्तगण शातिर किस्म के अपराधी हैं जो एनसीआर क्षेत्र में जगह-जगह आफिस बनाकर लोगों से पालिसी व पैसो को शेयर मार्केट में लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं तथा फर्जी आईडी से मोबाईल/बैंक खातों आदि का प्रयोग करते हैं तथा कुछ समय बाद अपना आफिस बदल देते हैं जिनके द्वारा करीब 1000से अधिक लोगों के साथ धोखाधड़ी की गयी है। अभियुक्तगण का एक शातिर किस्म का गैंग है जो सम्बन्धित कम्पनियों से डाटा लेकर उनको काल करके उनसे पालिसी व शेयर मार्केट के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं **जिनके द्वारा भटिंडा पंजाब के रहने वाले हरजीत सिंह सरदार को एलआईसी व शेयर मार्केट में पैसे लगाने व ज्यादा लाभ देने के नाम पर झांसा देकर अलग-2 बैंक खातों में पैसा जमा करा लिये थे जिसके सम्बंध में श्री हरजीत सिंह सरदार द्वारा थाना सूरजपुर जनपद गौतमबुद्धनगर पर अभियुक्तगणों के विरुद्ध**

अ0स0-185/19 धारा 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत कराया था। अभियुक्तगण उपरोक्त के अपराधिक इतिहास व सर्विलांस एवं बैंक के ट्रांजेक्शन के माध्यम से अन्य घटनाओं के सम्बंध में गहनता से जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

- 1:- 16 मोबाईल फोन
- 2:- 28 डाटाशीट
- 3:- 08 कस्टमर डाटाशीट
- 4:- कैलकुलेटर
- 5:- 01 वाईफाई राउटर
- 6:- 01 चार्जर
- 7:- 04 डायरी
- 8:- 03 फर्जी अदद पेपर
- 9:- 06 एटीएम कार्ड
- 10:- 01 पेटीएम कार्ड
- 11:- 07 पासबुक व चैकबुक
- 12:- 74 विजिटिंग कार्ड

अभियुक्तगणों का अपराधिक इतिहास

क्र०स०	अ०स०	धारा	थाना	जनपद
1	185/19	420 भादवि	सूरजपुर	गौतमबुद्धनगर
2	1228/19	420/406 भादवि व 66 आईटी एक्ट	इंदिरापुरम	गाजियाबाद

02 मोबाईल चोर गिरफ्तार :- मोबाइल चोर गिरोह की धर-पकड हेतु एक पुलिस टीम का गठन किया गया (**थाना लोनी पुलिस**) टीम को जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि दो लड़के जो घरों में चोरी करते हैं मुस्तफाबाद सरकारी स्कूल के अंदर बैठे हैं तथा उनके पास चोरी के कुछ मोबाइल भी हैं जिन्हें वे लोग बेचने की फिराक में हैं। जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं। सूचना पर यकीन कर पुलिस टीम द्वारा प्राथमिकी स्कूल मुस्तफाबाद के पास दीवार की आड़ लेकर छिपता छिपाता पहुंचे तो देखा 02 लड़के प्राथमिकी स्कूल मुस्तफाबाद में दो लड़के स्कूल के मैदान में बैठे हैं टीम ने दिनांक 27.08.19 समय 23.30 बजे दोनों को गिरफ्तार कर लिया जिनके कब्जे से मोबाईल बरामद हुए

बरामदा मोबाइलों के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो बताया कि हम दोनो नशा करने के आदी हैं। अपने नशे का खर्च चलाने के लिए पुराने मोबाइलो को चुराकर तथा सस्ते दामों में बेचते हैं। यह सभी मोबाइल चोरी के हैं। जो हम चारो ने मिलकर दिल्ली व NCR क्षेत्रो से चोरी की है।

जिसमें से अभि० शाहरुख से वरामद एक अदद मोबाइल फोन **OPPO** रंग लाल Imei no. 865053041974455 व 865053041974448 **स०मु०अ०स० 828/19 धारा 379 भादवि** तथा अन्य वरामदा मोबाइल 1- सैमसंग रंग काला IMEI NO. 355037100872731, 355038100872739 2- सैमसंग रंग सिल्वर IMEI NO. 357977099651125, 357978090651123 3- सैमसंग रंग सिल्वर IMEI NO 356373080507560 04- सैमसंग रंग काला जिसका IMEI NO अंकित नहीं है 5- लावा रंग काला कीपैड फोन IMEI NO. 9115424028522460 ,911542403852468 तथा अभि० सादिक उपरोक्त से वरामद एक अदद मोबाइल फोन **LAVA** रंग गोल्डन काला IMEI NO. 91156102895884, 911561103895883 चोरी के बरामद प्राप्त हुए। जिसमें शाहरुख की जेब से वरामद लाल रंग के **OPPO** फोन के बारे में थाना हाजा पर **मु०अ०स०-828/19 धारा 379/411** भादवि एवं एक अदद मोबाइल फोन **LAVA** रंग गोल्डन काला IMEI NO. 91156102895884, 911561103895883 चोरी के सम्बन्ध में **मु०अ०स०-112/19 धारा 380/411 भादवि थाना लोनी परपंजीकृत है।**

नाम पता गिरफ्तार शुदा अभियुक्तगण:-

01- शाहरुख S/O रमजानी नि० बुद्धबाजार नसबन्दी कालोनी थाना लोनी गा०बाद

02- सादिक पुत्र हारुन नि० बुद्धबाजार नसबन्दी कालोनी PS लोनी गा०बाद

अभि०गण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग:-

1- मु०अ०स०-831/19 धारा 411/414 भादवि बनाम शाहरुख आदि उपरोक्त थाना लोनी गाजियाबाद

2- मु०अ०स०-828/19 धारा 379/411 भादवि थाना लोनी

3. मु०अ०स०-112/19 धारा 380/411 भादवि थाना लोनी

बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद मोबाइल फोन OPPO रंग लाल Imei no. 865053041974455 व 865053041974448 स0मु0अ0सं0 828/19 धारा 379 भादवि
2. सैमसंग रंग काला IMEI NO. 355037100872731, 355038100872739
3. सैमसंग रंग सिल्वर IMEI NO. 357977099651125, 357978090651123
4. सैमसंग रंग सिल्वर IMEI NO 356373080507560
5. सैमसंग रंग काला जिसका IMEI NO अंकित नहीं है
6. लावा रंग काला कीपैड फोन IMEI NO. 9115424028522460 ,911542403852468 त
7. एक मोबाइल फोन LAVA रंग गोल्डन काला IMEI NO. 91156102895884, 911561103895883

2 शातिर शराब तस्क़र गिरफ़तार,घटना में प्रयुक्त डीलक्स बस व भारी मात्रा में अवैध

शराब बरामद ---अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान “नारकोज” के अन्तर्गत थाना मुरादनगर पुलिस टीम ने दिनांक 27/28.08.019 समय करीब 00.30 बजे ईस्टर्न पैरीफेरल पर मेरठ कट के पास चैकिंग के दौराने **बस नं0-GJ06Z-3698 डीलक्स बस** की बॉडी में नीचे तहखाना बना कर छुपाकर हरियाणा से गुजरात तस्क़री कर ले जाई जा रही **हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब की 187 पेटी (1661 लीटर) एवं वीयर की 15 पेटी (180 लीटर) कीमत करीब 1506000 रू0 बरामद** की गयी है। तस्क़री करने वाले दो अभि0 1- जवान सिंह 2- लक्ष्मण सिंह को गिरफ़तार किया गया है _____ जिसके सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर मु0अ0सं0 768/019 धारा 60/63/72 आबकारी अधि0 पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है। अभियुक्तों को आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभि0गण द्वारा पूछने पर बताया कि हम लोग इसी बस में नीचे जो तहखाना बनवा रखा है में हरियाणा से विभिन्न ब्रांड की अंग्रेजी शराब एवं वीयर को सस्ते दाम पर खरीद कर छिपाकर ले जाते है तथा मांग के अनुसार अपने ग्राहकों को यूपी के आगरा/राजस्थान/गुजरात में बिक्री कर व्यापार कर रहे है। हम दोनों यह गाडी ले जाकर आगरा के बाहर अपने साथी राजवीर को दे देते है ,राजवीर ग्राहकों को बिक्री करता है।

नाम पता गिरफ़तारशुदा अभियुक्त-

- 1- जवान सिंह पुत्र भवानीसिंह नि0 ग्राम अदवास थाना सराडा जिला उदयपुर राजस्थान,
- 2- लक्ष्मण सिंह पुत्र भारत सिंह नि0 ग्राम घटाऊ थाना देवडा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

फरार अभि0-

राजवीर नि0 उदयपुर राजस्थान।

01 चाकू व 4200 रुपये नगद सहित 01 अभियुक्त गिरफ़तार:- थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा दिनांक 28.08.19 को समय 04:15 बजे पावी सादकपुर राजधानी बाली गली से अभियुक्त शाहिद पुत्र युसुफ निवासी पावी सादकपुर थाना ट्रोनिका सिटी गा0बाद को गिरफ़तार किया है जिसके कब्जे से मु0अ0सं0 505 / 19 धारा 457 / 380 भादवि से सम्बन्धित बरामद हुये है।

03 हजार रुपयेनगद, पिले रंग का चार्ट सहित जुआ खेलते 02 अभियुक्त गिरफ़तार:- थाना सिहानीगेट पुलिस द्वारा दिनांक 27.08.19 को समय करीब 22:30 बजे गढढा मोमराजनगर से

अभियुक्तगण प्रेस कुमार पुत्र कमलेश गुप्ता निवासी सुभाष नगर थाना सिहानीगेट गा0बाद 2—राजकुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी गली नं0 7 सुभाषनगर थाना सिहानीगेट गा0बाद को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से तीन हजार रुपये नगद व एक पीला चार्ट आदि बरामद हुआ हे।

दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया के बाद मुंबई पुलिस के किया हवाले :-- आज दिनांक 28-08-19 को महाराष्ट्र के मुंबई के बांद्रा थाने से आई एक पुलिस की टीम ने जब **गाज़ियाबाद के इंदिरापुरम थाने कि** पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस ने बिना किसी देरी के एक टीम बनाकर महाराष्ट्र पुलिस के साथ भेज दिया पुलिस ने अनिल और वैभव को गिरफ्तार किया है **जिन पर इंशियरेंस के नाम पर मुंबई के एक कारोबारी से आनलाइन पांच करोड़ ठगी कर ली** जिसके बाद मुंबई पुलिस ने मामले को पंजीकृत किया हुआ था **और इस तरह के गिरोह पर थाने की पुलिस अपने जिले के कप्तान के आदेश पर पहले से काम रही थी इसी कड़ी** में जब मुंबई पुलिस ने आकर थाने की पुलिस से मदद मांगी तो पुलिस अपने यहां कोल सेंटर के नाम पर लोगो से आन लाइन ठगी करने वाले मुंबई पुलिस के इन दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर कानूनी प्रक्रिया के बाद मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया ।